सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. **RCMS 2019/00014**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

विविध प्रकरण सं0 01/2019

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवास मकान नम्बर 266, वार्ड नम्बर 02, लालगढजाटान तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान, पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, पंचायत समिति सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क)सी.पी.सी. बाबत निगरानी प्रकरण अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान आदि निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2018 को पारित आदेश यथास्थिति बनाये रखने का दिया गया कि अवज्ञा के सम्बन्ध में।

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

:: आदेश :: दिनांकः 05.08.2020

हस्तगत प्रार्थना पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की ओर से एक निगरानी मय स्थगन प्रार्थना पत्र अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान आदि निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2018 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि '' **अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में है, अगर दौराने निगरानी मकान संख्या 266 वार्ड नम्बर 2 लालगढ़जाटान को तोड़ने की कार्यवाही कर दी तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा उनके नोटिस कमांक 129 दिनाकित 07.02.2018 द्वारा की जाने वाली अग्रेत्तर कार्यवाही पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2018 तक अंतरिम रोक लगायी जाती है''** तथा उक्त स्थगन प्रत्येक तारीख पेशी तक बढ़ाया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.02.2019 तक बढ़ाया गया है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा लालगढ़जाटान के ग्राम विकास अधिकारी को रीसिवड करवा दी गई थी व मौखिक रूप से भी लगातार सूचित किया जाता रहा, परन्तु श्रीमान न्यायालय के स्थगन आदेश की पूर्ण रूप से जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए भी सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्वक भावना से कार्य करते हुए अदालतवाला के आदेश की अवज्ञा में प्रार्थी को एक बेदखली नोटिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

दिनांकित 21.03.2018 पत्र क्रमांक ग्राम पं./2018/170 दिया जाकर दिनांक 05.04.2018 से पूर्व अतिक्रमण हटाये जाने का नोटिस दिया गया। उक्त आदेश प्रभावित होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा एक ओर नोटिस दिनांक 18.01.2019 पत्र क्रमांक 180–182 प्रार्थी को दिया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब मय स्थगन की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 25.01.2019 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर व दिनांक 29.01.2019 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढजाटान को प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति दिये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सादुलशहर श्रीमति कविता गोदारा, विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर , ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लालगढ़जाटान , पंचायत प्रसार अधिकारी श्री अशोक जी, हल्का पटवारी श्री कपिल नैण, बिजली विभाग के लाईनमैन त्रिलोक, भीमसैन, हल्का गिरदावर श्री सीताराम व पुलिस की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की गैरकानूनी कार्यवाही दिनांक 11.02.2019 को द्वेषपूर्ण व नुकसान पहुंचाने की भावना से ग्राम पंचायत लालगढ़जाटान द्वारा की गई है जिस कारण प्रार्थी के मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ व प्रार्थी को आर्थिक नुकसान, समाज में प्रतिष्ठा की हानि व मानसिक क्षति कारित हुई है व प्रार्थी के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण के द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है उसका कुछ हिस्सा हटा दिया गया था फिर इसी दौरान ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योकरण द्वारा ए0डी0एम0 श्रीगंगानगर के द्वारा दिया गया यथास्थिति बनाये रखने का आदेश (स्थगन) प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बीच में रोक दी गई '' परन्तु प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज कथन से स्पष्ट है कि उक्त स्थगन आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी को पहले से थी, परन्तु फिर भी प्रार्थी को नुकसान पहुचाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं अप्रार्थीगण जिन्होनें जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की उल्लंधना की है उनके कृत्य की सजा कानूनी दी जावें एवं प्रार्थी द्वारा वहन किये गये नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय द्वारा प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दिलवायी जावें।

विविध अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) विविल प्रक्रिया संहिता से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की ओर से एक निगरानी मय स्थगन प्रार्थना पत्र अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान आदि निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2018 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त स्थगन प्रत्येक प्रत्येक तारीख पेशी तक बढ़ाया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.02.2019 तक बढ़ाया गया है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा लालगढ़जाटान के ग्राम विकास अधिकारी को रीसिवड करवा दी गई थी व मौखिक रूप से भी लगातार सूचित किया जाता रहा है। आदेश की प्रमाणित प्रति दिये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सादुलशहर श्रीमति कविता गोदारा, विकास अधिकारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पंचायत समिति सादुलशहर , ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लालगढ़जाटान , पंचायत प्रसार अधिकारी श्री अशोक जी, हल्का पटवारी श्री कपिल नैण, बिजली विभाग के लाईनमैन त्रिलोक, भीमसैन, हल्का गिरदावर श्री सीताराम व पुलिस की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की गैरकानूनी कार्यवाही दिनांक 11.02.2019 को द्वेषपूर्ण व नुकसान पहुंचाने की भावना से ग्राम पंचायत लालगढ़जाटान द्वारा की गई है जिस कारण प्रार्थी के मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ व प्रार्थी को आर्थिक नुकसान, समाज में प्रतिष्ठा की हानि व मानसिक क्षति कारित हुई है व प्रार्थी के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं अप्रार्थीगण जिन्होनें जानबूझ कर न्यायालय के आदेशों की उल्लंधना की है उनके कृत्य की सजा कानूनी दी जावें एवं प्रार्थी द्वारा वहन किये गये नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय द्वारा प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दिलवायी जावें।

अप्रार्थी सख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान वगैरा में जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.02.2018 की जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 को नहीं थी। विचाराधीन निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 का ज्ञान अप्रार्थी संख्या 01 को 08.08.2019 को हुआ था। उक्त स्थगन आदेश की प्रति ग्राम पंचायत एवं ग्राम सचिव का प्राप्त नहीं हुई थी जिस कारण निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 में अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 08.08.2019 को उपस्थित हुआ था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिसीवड की छाया प्रति माननीय न्यायालय में पेश की है। छाया प्रति कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रक्रिया संहिता आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानी प्रकरण संख्या 07/2018 अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2018 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त स्थगन प्रत्येक प्रत्येक तारीख पेशी तक बढ़ाया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.02.2019 तक बढ़ाया गया है। प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा लालगढ़जाटान के ग्राम विकास अधिकारी को दिनांक 29.01.2019 रीसिवड करवाना एवं मौखिक रूप से भी लगातार सूचित जाना जो अंकित है। उक्त छाया प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि जबाब ग्राम विकास अधिकारी को रिसीवड़ करवाया गया हों क्योंकि रिसीवड पर हस्ताक्षर के नीचे कोई मोहर/पदनाम अंकित नहीं है। दिनांक 11.02.2019 को अतिक्रमण हटाते वक्त स्थगन प्रस्तुत करने पर उक्त कार्यवाही स्थगित करना निगरानीकर्ता ने अपने अवमानना प्रकरण में स्वीकार किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रक्रिया संहिता तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें।

आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)